

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

एरिना फूड एंड एगो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य

2025 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 6873

05 मई 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिन्हा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता को किशतों में अतिरिक्त रॉयल्टी का शेष भुगतान करने और खनन स्थल पर पड़े खनिज को हटाने की अनुमति का अधिकार है या नहीं?

हेडनोट्स

खान और खनिज-----बिहार खनन खनिज रियायत नियम, 1972---अनुसूची-II, नियम 26(1)(बी)----रिट याचिका जिसमें याचिकाकर्ता को किशतों में अतिरिक्त रॉयल्टी का शेष भुगतान करने और खनन स्थल पर पड़े खनिज को हटाने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई है।

निर्णय: याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने न्यायालय में एक पेशकश/प्रस्ताव दिया जिसके तहत उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अतिरिक्त रॉयल्टी की शेष राशि रु. 7,98,63,083/- छह समान मासिक किस्तों में का भुगतान/जमा करने के लिए तैयार है----प्रत्येक किस्त 1,33,10,514/- रुपये की होगी, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक किस्त जमा करने के बाद याचिकाकर्ता को भुगतान की गई किस्त के अनुपात में साइट पर पड़े खनिज को उठाने की अनुमति दी जाएगी----याचिकाकर्ता के अनुसार यह

प्रस्ताव न केवल याचिकाकर्ता के हित में होगा बल्कि प्रतिवादी-राज्य/खनन विभाग के हित में भी होगा क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार, रु. 7,98,63,083/- की बहुत कम न्यूनतम कीमत 1,33,10,514/- रुपये है--- साइट पर पड़े खनिज की नीलामी के लिए 1,36,65,767/- रुपये निर्धारित किए गए थे, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि से कम राजस्व प्राप्त हो सकता है----प्रस्ताव की गहन समझ के आधार पर तथा नीलामी में सफल उच्चतम बोलीदाता द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा आज की तिथि तक भुगतान की जाने वाली राशि से बहुत कम राशि की पेशकश किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, जिससे विभाग को कम राजस्व प्राप्त होगा, प्रतिवादी/खनन विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए पेशकश/प्रस्ताव से सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की, बशर्ते कि यदि इस बार याचिकाकर्ता किसी भी कारण से किसी भी माह में कोई किस्त जमा करने में विफल रहता है, तो खनन विभाग न केवल आदेश को रद्द कर देगा, बल्कि तत्काल नई नीलामी की कार्यवाही भी करेगा, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता को प्रतिवादी/खनन विभाग द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होगी---रिट आवेदन उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटाया जाता है। (पैरा-26, 27)

न्याय दृष्टान्त

XXX

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता; खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957; बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019

मुख्य शब्दों की सूची

खनन पट्टा---रॉयल्टी राशि---अतिरिक्त रॉयल्टी---खनन अधिकारों की नीलामी---खनिज निष्कर्षण----किस्तों में रॉयल्टी का भुगतान।

प्रकरण से उत्पन्न

प्रतिवादी अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या 2005 दिनांक 02.04.2025 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का दिनांक 06.02.2025 का अभ्यावेदन अस्वीकृत कर दिया गया है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता; श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री स्थायी वकील (20); श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा, एसी टू एससी-20

खानों की ओर से: श्री नरेश दीक्षित, अधिवक्ता; श्रीमती कल्पना, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2025 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 6873

=====

एरिना फूड एंड एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय गाँव निमी, थाना - शेखोपुर, जिला शेखपुरा में है, इसके निदेशक श्री कृष्ण कुमार, आयु लगभग 39 (पुरुष), पुत्र- हारंगी सिंह, निवासी - गाँव - निम्मी, थाना शेखोपुर, जिला-शेखपुरा के माध्यम से।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से ।
2. प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
3. अतिरिक्त सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
4. निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
5. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, शेखपुरा।
6. खनिज विकास अधिकारी, शेखपुरा।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री स्थायी अधिवक्ता (20) श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा, एससी-20 के एसी
खानों के लिए	:	श्री नरेश दीक्षित, अधिवक्ता श्रीमती कल्पना, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

तारीख : 05-05-2025

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान रिट आवेदन में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध किया है:

i) उत्तरदाता अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी पत्र संख्या 2005 दिनांकित 02.04.2025 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने हेतु, जिसके तहत याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन दिनांक 06.02.2025 को खारिज कर दिया गया है।

ii) दिनांक 04.04.2025 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित नोटिस सं. पी.आर. सं. 000159 (खान) 2025-26 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश करने हेतु, जिसके तहत प्रतिवादियों ने मौजा मथोकर सूरदासपुर, सर्किल शेखपुरा, डाक शेखपुरा, खाता 272, और 132 प्लॉट 1030 (पी) और 32 (पी) ब्लॉक 04 में स्थित 32,20,180.39 घन फुट खनिज की नीलामी के लिए एक नोटिस प्रकाशित किया है।

iii) याचिकाकर्ता को किशतों में अतिरिक्त रॉयल्टी का शेष भुगतान करने और खनन स्थल पर पड़े

खनिज को हटाने की अनुमति देने के लिए उत्तरदाताओं को एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश करने हेतु।

iv) यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और मान सकता है कि याचिकाकर्ता को अतिरिक्त रॉयल्टी राशि का शेष भुगतान करने की अनुमति नहीं देने और खनिज की नीलामी करने का प्रयास करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और मनमाना है।

v) यह माननीय न्यायालय यह निर्णय दे सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा खान आयुक्त के ज्ञापन संख्या 5577 दिनांक 24.11.2023 में दिए गए पूर्व आदेश का पालन करने में विफलता केवल प्रतिवादियों के कारण थी और याचिकाकर्ता को इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता।

vi) कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना जिसे याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जा सके।

3. वर्तमान रिट आवेदन को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता कंपनी ने मौजा मथोकर सूरदासपुर, सर्कल-शेखपुरा, पी. ओ.-शेखपुरा और खाता-272 और 132 प्लॉट 1030 (पी) और 32 (पी) ब्लॉक-04 रकबा 12.50 करोड़ (जिसे संक्षेप में उक्त भूमि कहा गया है) में स्थित भूमि के संबंध में पत्थर के खनन पट्टे प्राप्त

करने के लिए नीलामी में भाग लिया था। नीलामी में भाग लेने के बाद, याचिकाकर्ता कंपनी 29,00,00,000/- (उनतीस करोड़ रुपये) की उच्चतम बोलीदाता के रूप में उभरी और उसे उक्त भूमि के संबंध में पाँच वर्षों (30-03-2017 से 29-03-2022) की अवधि के लिए खनन पट्टा प्रदान किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता कंपनी ने 2,90,00,000/- रुपये (दो करोड़ नब्बे लाख रुपये) की सुरक्षा राशि जमा की और 30-03-2017 को बिहार राज्य के साथ एक पट्टा समझौता किया (रिट आवेदन के अनुबंध-पी/1)। उक्त समझौते के भाग-V के अनुसार, याचिकाकर्ता कंपनी को नीलाम की गई पूरी राशि 29,00,00,000/- रुपये (उनतीस करोड़ रुपये) 5 बराबर वार्षिक किश्तों में 5,80,00,000/- रुपये (पांच करोड़ अस्सी लाख रुपये) की दर से जमा करना था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बिहार खनन खनिज रियायत नियम, 1972 (जो समझौते के निष्पादन के समय लागू था) की अनुसूची-II में विचार किया गया है कि यदि नीलामी के माध्यम से समझौता किया जाता है, तो नियम 26 (1) (बी) के तहत रॉयल्टी नीलामी राशि होगी। यही प्रावधान 2019 के नियमों की अनुसूची-III (ए) में शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चूंकि समझौता नीलामी के माध्यम से किया गया था, इसलिए नीलामी की गई राशि रॉयल्टी थी जिसे याचिकाकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि उन्होंने रुपये की पूरी रॉयल्टी राशि जमा कर दी है। विलंबित भुगतान के लिए लागू ब्याज के साथ 29 करोड़ रुपये। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, बिहार से पर्यावरण मंजूरी भी प्राप्त की थी, जो संदर्भ संख्या 428 दिनांक 19-12-2016 में निहित थी। याचिकाकर्ता को दी गई पर्यावरण मंजूरी के अनुसार, उत्पादन की प्रस्तावित क्षमता प्रति वर्ष 11,41,250 टन रखी गई थी (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/3)। इस प्रकार, याचिकाकर्ता खदानों से प्रति वर्ष

11,41,250 टन निकालने का हकदार था, परिणामस्वरूप पांच साल की पूरी अवधि के लिए, याचिकाकर्ता 57,06,250 टन खनिज निकालने का हकदार था जो 14,26,56,250 घन फुट खनिजों के समतुल्य है। याचिकाकर्ता का समझौता 29-03-2022 पर समाप्त हो गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि पांच वर्ष की पूरी अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने केवल 12,02,59,361.7 घन फुट खनिज उत्पादित किया है, जो 48,10,374 मीट्रिक टन है। जहां तक प्रेषण का संबंध है, कुल प्रेषित खनिज 11,54,47,915.6 घन फुट है, जो 46,17,916.624 मीट्रिक टन है। जिनका विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	महीना	कुल उत्पादन (घन फुट)	कुल प्रेषण (घन फुट)
2017	अप्रैल-दिसंबर	1,97,36,440	26,89,855.25
2018	जनवरी-दिसंबर	2,84,41,085	1,10,31,886.55
2019	जनवरी-दिसंबर	2,78,81,836.65	2,18,85,021.95
2020	जनवरी-दिसंबर	2,82,50,000	3,23,64,207.6
2021	जनवरी-दिसंबर	1,34,65,000	3,18,38,094.45
2021	जनवरी-मार्च	25,85,000	1,56,38,849.75
	कुल	12,02,59,361.7	11,54,47,915.6
		घन फुट	घन फुट

6. समझौते की समाप्ति के बाद, खनन स्थल पर लगभग 1,92,457.376 मीट्रिक टन बोल्टर/पत्थर पड़ा हुआ था, जिसकी पुष्टि याचिकाकर्ता द्वारा 21-04-2022 को मार्च 2022 के महीने के लिए दायर मासिक विवरणी (रिट आवेदन के लिए

अनुलग्नक-पी/4) से होती है। चूंकि भेजे गए खनिज की कुल मात्रा केवल 11,54,47,915.6 घन फुट थी, जो 14,26,56,250 घन फुट से कम है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता किसी भी अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। फिर भी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि गलत सलाह और जिला खनन कार्यालय के दबाव में, उन्होंने शुरू में 1,18,23,487/- रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान किया था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त के बावजूद, खनिज विकास अधिकारी, शेखपुरा ने पत्र संख्या 722 दिनांकित 04-07-2022 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/5) के माध्यम से याचिकाकर्ता को अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में रु. 6,25,34,581/- जमा करने का निर्देश दिया क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने 29-03-2022 तक निपटान अवधि के दौरान रु. 36,43,58,068.00/- रुपये मूल्य का खनिज भेजा था और केवल 30,18,23,487.00 रुपये जमा किया था, इसलिए, याचिकाकर्ता को 6,25, 34,581/- रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 5-7-2022 दिनांकित पत्र के माध्यम से, उपरोक्त मांग पत्र (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/5) का जवाब दिया, लेकिन याचिकाकर्ता के जवाब को पत्र संख्या 731 दिनांकित 06-07-2022 (रिट आवेदन के लिए अनुबंध-पी/6) के माध्यम से खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता को आयकर और जिला फाउंडेशन राशि के साथ 6,25,34,581/- रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी जमा करने का निर्देश दिया गया।

8. खनिज विकास अधिकारी, शेखपुरा द्वारा जारी पत्र संख्या 731 दिनांक 06-07-2022 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/6) के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने

कलेक्टर, शेखपुरा के समक्ष नियम 67, 2019 के तहत के तहत अपील की है, जो 2022 का अपील मामला संख्या 96 है। इस बीच, वरिष्ठ अतिरिक्त कलेक्टर-सह-खनिज विकास अधिकारी शेखपुरा ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 419 और 420; खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4; बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 11, 43 एवं 56 के तहत शेखपुरा थाना केस नं. 396/2022 दर्ज किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने 6,25,34,581/- रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया था और अपने के-लाइसेंस स्थल पर 52,07,192 एवं 5,39,280.75 घन फुट रोके हुए थे और 08.07.2022 पर किए गए निरीक्षण पर, भंडारण बिंदु पर स्टॉक शून्य पाया गया। इस प्रकार, यह आरोप लगाया गया कि स्टॉक को अवैध रूप से बेचा गया था।

9. याचिकाकर्ता कंपनी के निदेशक, राधे शर्मा ने निचली अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया और राधे शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए आपराधिक विविध संख्या 53870/2022 के तहत इस माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसे दिनांक 06.02.2023 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/7) के आदेश के माध्यम से इस निवेदन पर अनुमति दी गई थी कि याचिकाकर्ता सिविल कार्यवाही के परिणाम के अधीन छह महीने के लिए 50 लाख रुपये प्रति माह जमा करने के लिए तैयार है, अगर खनन विभाग याचिकाकर्ता को पहले से ही उत्खनित और खनिज स्थल पर पड़े खनिजों को उठाने की अनुमति देगा।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आदेश के आलोक में, 18.02.2023 और 22.02.2023 दिनांकित अभ्यावेदनों के माध्यम से,

याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से याचिकाकर्ता को खनिज स्थल पर पहले से पड़े खनिजों को हटाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। हालाँकि, याचिकाकर्ता को इसे उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह कहा गया है कि 2022 का अपील मामला संख्या 96 को ज्ञापन संख्या 362 दिनांकित 03.04.2023 में निहित 28.03.2023 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/9) के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को 8,67,12,590/- रुपये [रु. 6,25,34,581.00/- अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में और रु 96, 34, 471.00-अतिरिक्त रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में 5,31,777/- रुपये आयकर राशि + 14,87,162 रुपये डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) राशि + 1,01,50,905.00/- रुपये किस्त के विलंबित भुगतान पर ब्याज + 13,73,694/- रुपये डीएमएफ राशि पर ब्याज के रूप में] और प्रमाण पत्र मामले की संस्थापना की तारीख से ब्याज सहित जमा करने का निर्देश दिया गया था।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आपराधिक विविध संख्या 53870/2022 में इस माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद 2022 याचिकाकर्ता को 50 लाख प्रति माह रुपये जमा करने की और खनन स्थल पर पहले से पड़ी सामग्री को उठाने की अनुमति नहीं दी गई। इसने याचिकाकर्ता को आपराधिक विविध संख्या 53870/2022 में पारित दिनांक 02.06.2022 के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए आपराधिक विविध संख्या 24766/2023 दायर करने के लिए मजबूर किया। यह कहा गया है कि आपराधिक विविध संख्या 24766/2023 को दिनांक 19.04.2023 के आदेश (रिट आवेदन के अनुलग्नक-पी/10) के तहत अनुमति दी गई थी और इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रुपये जमा करने की शर्त 50 लाख रुपये की राशि इस शर्त पर थी कि याचिकाकर्ता को पहले से ही उत्खनित और खनन स्थल पर पड़े खनिजों को उठाने की अनुमति दी जाएगी।

12. उपरोक्त आदेश दिनांक 19.04.2023 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/10) के आलोक में, याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट को संबोधित 08.06.2023 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/11) के अभ्यावेदन के माध्यम से अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान न करने पर ब्याज लगाने और किशतों के विलंबित भुगतान पर 1,01,50,905/- रुपये और डीएमएफ राशि पर 13,73,694/- रुपये ब्याज लगाने पर आपत्ति जताई है और यदि खनन स्थल पर पहले से पड़े खनिजों को हटाने की अनुमति दी जाती है, तो विरोध के तहत अतिरिक्त रॉयल्टी को छह किशतों में जमा करने की पेशकश की है। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि उन्होंने उपरोक्त पत्र का जवाब नहीं दिया है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त के बावजूद, खनन विभाग ने याचिकाकर्ता को खनन स्थल से खनिज उठाने की अनुमति नहीं दी और याचिकाकर्ता 50 लाख रुपये जमा नहीं कर सका और जमानत बांड प्रस्तुत नहीं कर सका। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने छह महीने के लिए 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त को हटाने की मांग करते हुए आपराधिक विविध संख्या 44436/2023 दायर की यह कहा गया है कि आपराधिक विविध संख्या 44436/2023 को 19.07.2023 के आदेश (रिट आवेदन के अनुलग्नक पी/12) के तहत अनुमति दी गई थी और छह महीने के लिए 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त को 06.02.2023 के आदेश से हटा दिया गया था।

14. इस बीच, यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 2023 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. नंबर 7134 दायर किया कर स्टॉक क्षेत्रों में पड़े 195671.60 मीट्रिक टन और 17458.91 मीट्रिक टन रॉयल्टी भुगतान वाले खनिजों (पत्थर के चिप्स और धूल) को हटाने/बेचने की अनुमति मांगी है, जिनके लाइसेंस संख्या के-शेखपुरा/28/2022 और

के-शेखपुरा/30/2022 हैं। यह कहा गया कि उक्त मामले का निपटारा दिनांक 22.08.2023 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/13) के आदेश के माध्यम से खान आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने के निर्देश के साथ किया गया था, जो किया गया था और इसे विविध मामला संख्या 08/2023 के रूप में क्रमांकित किया गया।

15. इसके अलावा, 2022 के अपील मामले संख्या 96 में कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 28.03.2023 के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 13532/2023 दायर किया था, जिसका निपटान दिनांक 12.10.2023 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/14) के आदेश के माध्यम से किया गया था। यह कहा गया कि इस माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संशोधन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है और याचिकाकर्ता को खनन स्थल से पहले से ही उत्खनित खनिजों को उठाने की अनुमति भी दी है, बशर्ते कि याचिकाकर्ता छह समान मासिक किश्तों में 6,25,34,581/- रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

16. याचिकाकर्ता को दिनांक 12.10.2023 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/14) के आदेश के माध्यम से दी गई स्वतंत्रता के आलोक में, याचिकाकर्ता ने 2022 के अपील मामले संख्या 96 में कलेक्टर द्वारा पारित दिनांकित 28.03.2023 के आदेश के खिलाफ 2023 के संशोधन मामले संख्या 2 दायर किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने 2022 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 14879 भी दायर किया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने 317 दिनों के लिए खनन गतिविधि करने की अनुमति मांगी गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता को विभिन्न कारणों से खनिज गतिविधि करने से रोक दिया गया था। यह कहा गया कि उक्त रिट आवेदन का निपटान दिनांक 02.11.2022 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/15) के आदेश के माध्यम से प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना को

याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया था और याचिकाकर्ता को खनन पट्टा क्षेत्र में पड़ी सामग्री को उठाने का मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता भी दी गई थी।

17. उपरोक्त आदेश दिनांक 02.11.2022, (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/15) के आलोक में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.11.2022 का अभ्यावेदन दायर किया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता को खनन क्षेत्र में पहले से पड़े 192457.376 मीट्रिक टन को हटाने के लिए छह महीने का समय दिया जाए।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि 2023 के विविध मामले संख्या 08 और 2023 के संशोधन मामले संख्या 02 की एक साथ सुनवाई की गई और 23.11.2023 के आदेश (रिट आवेदन के अनुलग्नक-पी/17) द्वारा निपटारा किया गया, जो ज्ञापन संख्या 5577 दिनांक 24.11.2023 में निहित है, जिसमें याचिकाकर्ता को छह महीने के लिए हर महीने रु. 1,99,65,771/- जमा करने का निर्देश दिया गया और उसी के बदले में याचिकाकर्ता को हर महीने 801907.03 घन फुट खनिज उठाने का अधिकार होगा।

19. यह कहा गया है कि दिनांकित 23.11.2023 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/17) के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने 28.11.2023 को 1,99,65,771/- रुपये की पहली किस्त जमा कर दी। हालाँकि, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को पट्टे वाले क्षेत्र से खनिज बेचने की तुरंत अनुमति नहीं दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को 34 दिनों की देरी के बाद केवल 02.01.2024 पर कैपिंग दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 1,99,65,771/- रुपये की बड़ी राशि एक महीने से अधिक समय तक अटकी रही। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दूसरी किस्त 20.02.2024 पर जमा की। इस बार भी समय पर कैपिंग आवंटित नहीं

किया गया और खनन विभाग ने 48 दिनों की देरी के बाद 09.01.2024 पर कैपिंग प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी राशि के अवरुद्ध होने के कारण भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

20. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरे महीने के लिए दी गई कैपिंग 08.05.2024 तक वैध थी। हालाँकि, इसके बाद, याचिकाकर्ता के चालू खाते में कुछ तकनीकी समस्या के कारण तीसरी किस्त जमा करने में कुछ देरी हुई और इस तथ्य को सहायक निदेशक को दिनांकित 06.05.2024 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/18) पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। इस बीच, सहायक निदेशक ने ज्ञापन संख्या 585 दिनांक 29.06.2024 (रिट आवेदन के अनुलग्नक-पी/19) के माध्यम से पट्टा क्षेत्र से खनिजों को उठाने के आदेश को वापस ले लिया और साइट से शेष 3207628.14 घन फुट खनिजों को जब्त कर लिया। याचिकाकर्ता को पट्टा स्थल से अपनी सभी मशीनों आदि को हटाने का भी निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.09.2024 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/20) के अभ्यावेदन के माध्यम से अतिरिक्त प्रमुख से रॉयल्टी जमा करने की समय अवधि बढ़ाने और मासिक किस्त को घटाकर रु. 1,00,00,000/- करने का अनुरोध किया, अंत में, खान निदेशक द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 4526 दिनांक 24.10.2024 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/21) में निहित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को सहायक निदेशक द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 5577 दिनांक 24.11.2023 और ज्ञापन संख्या 585 दिनांक 29.06.2024 में निहित आदेश के आलोक में कथित रूप से खारिज कर दिया गया। यह कहा गया है कि उसी दिन, निदेशक खान ने ज्ञापन संख्या 4525 दिनांक 24.10.2024 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/22) के माध्यम से कलेक्टर, शेखपुरा को पट्टा क्षेत्र के भीतर स्थित सभी खनिजों को जब्त करने और नियमों के

अनुसार उनकी नीलामी करने का निर्देश दिया। उक्त पत्र की एक प्रति जिला खनन कार्यालय से याचिकाकर्ता को प्रदान की गई थी।

21. याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि सहायक निदेशक, इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि रॉयल्टी की तीसरी किस्त जमा करने में देरी न केवल याचिकाकर्ता के कारण थी, बल्कि खनन विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को कैपिंग प्रदान करने में हुई देरी के कारण भी थी। ज्ञापन संख्या 4525 दिनांकित 24.10.2024 से व्यथित होने के कारण, याचिकाकर्ता ने 2024 के संशोधन मामले संख्या 05 वाले खान आयुक्त के समक्ष एक संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त मामले को ज्ञापन संख्या 302 दिनांक 16.01.2025 (रिट आवेदन के अनुलग्नक-पी/23) में निहित दिनांक 14.01.2025 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि निदेशक खान द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं था। हालाँकि, याचिकाकर्ता को अपने दावे के संबंध में खान आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसलिए याचिकाकर्ता ने खान और भूविज्ञान विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष दिनांकित 06.02.2025 के पत्र (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/24) के माध्यम से एक अभ्यावेदन दायर किया जिसमें अनुरोध किया गया कि उसे रॉयल्टी जमा करने के लिए समय अवधि बढ़ाने की अनुमति दी जाए। चूंकि कुछ समय के लिए याचिकाकर्ता को कुछ भी नहीं बताया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने 28.02.2025 दिनांकित पत्र के माध्यम से निदेशक खान को एक अनुस्मारक पत्र प्रस्तुत किया। इसके परिणामस्वरूप, निदेशक खान ने दिनांक 02.04.2025 के पत्र संख्या 2005 के माध्यम से याचिकाकर्ता (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/25) को सूचित किया कि पूर्व पत्र संख्या 4526 दिनांक 24.10.2024 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/22) के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए याचिकाकर्ता का

विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि 06.02.2025 दिनांकित पत्र पर कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया था। बल्कि निदेशक खान द्वारा जारी पूर्व पत्र क्रमांक 4526 दिनांक 24.10.2024 (रिट आवेदन के अनुलग्नक-पी/22) पर भरोसा करते हुए प्रधान सचिव को किया गया अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, खान विभाग ने अब 04.04.2025 पर दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित पीआर संख्या 000159 (माइन्स-2025-26) में निहित एक नीलामी नोटिस जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता के खनन स्थल पर पड़े 3220180.39 घन फुट खनिजों को नीलामी के लिए रखा गया है और नीलामी की तारीख 21.05.2025 के लिए तय की गई है। निविदा सूचना को रिट आवेदन के अनुलग्नक-पी/26 के रूप में दर्ज किया गया है।

22. याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि निदेशक खान द्वारा जारी पत्र संख्या 2005 दिनांक 02.04.2025 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/25) कानून की दृष्टि से गलत है। चूंकि दिनांक 06.02.2025 का अभ्यावेदन उत्तरदाता-प्रधान सचिव को संशोधन प्रकरण संख्या 05/2024 में पारित दिनांक 14.01.2025 के आदेश के आलोक में प्रस्तुत किया गया था, याचिकाकर्ता के अनुसार यह अनिवार्य था कि प्रधान सचिव को इस संबंध में एक आदेश पारित करना चाहिए था, लेकिन याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को निदेशक खान द्वारा खारिज कर दिया गया है, वह भी पूर्व ज्ञापन संख्या 4525 दिनांक 24.10.2024 (रिट आवेदन के अनुलग्नक-पी/22) का उल्लेख करते हुए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता इस बात पर विचार करने में विफल रहे हैं कि रॉयल्टी जमा करने में 34 और 48 दिनों की देरी खनन विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को कैपिंग प्रदान करने के कारण हुई थी, जबकि उसने क्रमशः पहली और दूसरी किस्त जमा कर दी थी। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि वह खान आयुक्त द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए हमेशा

इच्छुक और तैयार था, लेकिन इसका पालन करने में उसकी असमर्थता पूरी तरह से खनन विभाग के कारण थी।

23. याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है और कहता है कि याचिकाकर्ता शेष रॉयल्टी को खनन विभाग में जमा करने के लिए तैयार है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार 7,98,63,083/- (सात करोड़ अट्ठानबे लाख तिरसठ हजार अस्सी रुपये मात्र) रुपये है खनन स्थल पर पड़े खनिज को उठाने के बदले में। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विभाग 1,36,65,767/- (एक करोड़ छत्तीस लाख पैंसठ हजार सात सौ सड़सठ रुपये मात्र) की रुपये की बहुत कम न्यूनतम कीमत पर नीलामी करने के लिए तैयार और इच्छुक है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों की कार्रवाई कानून की नजर में अत्यधिक मनमानी है और उत्तरदाताओं द्वारा खनिजों के लिए कम राशि स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है, जब याचिकाकर्ता बहुत अधिक यानी 7,98,63,083 रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार है। याचिकाकर्ता का विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर जोर दिया कि जब याचिकाकर्ता लगभग आठ करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक हो तो कम राशि स्वीकार करना खनन विभाग के व्यावसायिक हित में नहीं होगा।

24. इसके विपरीत, खान विभाग की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 2023 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 13,532 में पारित दिनांक 12.10.2023 के निर्णय और आदेश के अनुसार, इस माननीय न्यायालय ने रिट आवेदन का निपटारा किया था और उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 6 और 7 में निहित निम्नलिखित सख्त नियमों और शर्तों के अनुसार 6,25,34,581/- रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करने की अनुमति दी थी, जो इस प्रकार है:

“6. पक्षकारों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करते हुए और याचिकाकर्ता के वास्तविक वचन पर ध्यान देते हुए कि वह छह महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त रॉयल्टी राशि जमा करने के लिए तैयार है, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को मासिक आधार पर छह समान किश्तों में राशि का भुगतान करने की अनुमति देना उपयुक्त और उचित समझता है।

7. हालाँकि, यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि बोल्टर/पत्थर उठाने की अनुमति केवल 10 नवंबर, 2023 से पहले पहली किस्त के भुगतान के बाद ही जारी की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि छह महीने के भीतर यानी 10.04.2023 तक 6,25,34,581/- रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी का पूरा भुगतान छह समान मासिक किस्तों में किया जाना चाहिए। किसी भी महीने में किसी भी किस्त की विफलता से आदेश रद्द हो जाएगा, जिससे उत्तरदाताओं को उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता मिलेगी। इसके अलावा, यह आदेश खान विभाग को साइट के संबंध में किसी भी पट्टेदार के साथ कोई समझौता करने से नहीं रोकेगा, लेकिन छह

महीने की इस अवधि के दौरान, साइट को सफल बोलीदाता को नहीं सौंपा जाएगा।”

25. इसलिए खान विभाग के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा यह बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि किसी भी किस्त के भुगतान में विफलता पर आदेश को रद्द कर दिया जाएगा, जिससे उत्तरदाताओं को उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता मिलेगी। न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि ऐसी स्थिति में खान विभाग नीलामी के माध्यम से स्थल पर पड़े खनिजों के संबंध में किसी भी पट्टेदार के साथ कोई भी समझौता करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि किस्त के भुगतान में चूक के कारण याचिकाकर्ता के आदेश को रद्द करने की खान विभाग की वर्तमान कार्रवाई बिल्कुल उचित है और सीडब्ल्यूजेसी संख्या 13532/2023 में पारित दिनांक 12.10.2023 के आदेश के अनुसार है। इसलिए, खान विभाग के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वर्तमान रिट आवेदन में कोई योग्यता नहीं है और यह खारिज किए जाने के योग्य है।

26. इस मामले की जटिलताओं और उसमें शामिल तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से पक्षकारों के तर्क को यहाँ ऊपर विस्तार से नोट किया गया है। हालाँकि, जब यह न्यायालय योग्यता के आधार पर वर्तमान मामले पर निर्णय देना शुरू करने ही वाला था, तो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में एक पेशकश/प्रस्ताव दिया जिसके तहत उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी की पूरी शेष राशि 7,98,63,083 रुपये छह समान मासिक किस्तों में जमा करने के लिए तैयार है, जिसमें प्रत्येक किस्त 1,33,10,514 रुपये होगी इस शर्त के साथ कि प्रत्येक किस्त जमा करने के बाद याचिकाकर्ता को भुगतान की गई किस्त के अनुपात में स्थल पर पड़े खनिज को उठाने की अनुमति दी जाएगी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने

आगे प्रस्ताव दिया कि याचिकाकर्ता उस मामले को आगे बढ़ाने के अपने अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऐसा करने के लिए तैयार होगा जिसके द्वारा उसने अतिरिक्त रॉयल्टी के अधिरोपण को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के अनुसार यह पेशकश/प्रस्ताव न केवल याचिकाकर्ता के हित में होगा, बल्कि उत्तरदाता-राज्य/खनन विभाग के हित में भी होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार, स्थल पर पड़े खनिज की नीलामी के लिए 1,36,65,767 रुपये की बहुत कम न्यूनतम कीमत तय की गई थी, जो याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने की पेशकश की तुलना में कम राजस्व प्राप्त कर सकता है और इसलिए याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता-राज्य/खनन विभाग से उसके पेशकश/प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया।

27. उत्तरदाता/खनन विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता शुरू में याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए पेशकश/प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रस्ताव की गहरी समझ पर और नीलामी में सफल उच्चतम बोलीदाता द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा आज की तारीख में भुगतान की जाने वाली राशि से बहुत कम की पेशकश करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए,, जिससे विभाग को कम राजस्व प्राप्त होगा, उत्तरदाता/खनन विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए पेशकश/प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, बशर्ते कि इस बार याचिकाकर्ता किसी भी महीने में कोई भी किस्त जमा करने में विफल रहा, किसी भी कारण से, तो खनन विभाग न केवल आदेश को रद्द कर देगा, बल्कि तुरंत नई नीलामी भी करेगा, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता को कोई शिकायत नहीं होगी और इसके अलावा याचिकाकर्ता को यह भी वचन देना होगा कि समय के भीतर कोई किस्त जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, याचिकाकर्ता उत्तरदाता/खनन विभाग के आदेश को रद्द करने और नई नीलामी के लिए जाने के निर्णय के खिलाफ कोई उपचार नहीं मांगेगा। संक्षेप में, यदि किसी भी परिस्थिति में

याचिकाकर्ता किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके बाद उसे उत्तरदाता/खनन विभाग द्वारा उसके परिणामस्वरूप की गई किसी भी कार्रवाई के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी। उत्तरदाता/खनन विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता को छह किस्तों में अतिरिक्त रॉयल्टी की शेष राशि का भुगतान करने की अनुमति देने पर भी आपत्ति जताई और जोर देकर कहा कि पूरी राशि को चार समान मासिक किस्तों में दिया जाना चाहिए।

28. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए पेशकश/प्रस्ताव और कुछ आरक्षणों के साथ उत्तरदाता/खनन विभाग की ओर से स्वीकृति पर विचार करते हुए, दोनों पक्ष अंततः निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हुए जिनके तहत वर्तमान रिट आवेदन का निपटारा किया जा रहा है:

(I) याचिकाकर्ता 25.05.2025 से शुरू होने वाली पांच समान मासिक किस्तों में 7,98,63,083/- रुपये की अतिरिक्त रॉयल्टी की शेष राशि जमा करेगा, जिसमें प्रत्येक किस्त 1,59,72,617/- रुपये की होगी। इसलिए, सभी पांच किस्तों का भुगतान 25.10.2025 तक किया जाना चाहिए। स्पष्ट करने के लिए, किस्तों का भुगतान निम्नानुसार किया जाना चाहिए:

(क) पहली किस्त 1,59,72,617/- रुपये का भुगतान 25.06.2025 तक किया जाना चाहिए।

(ख) दूसरी किस्त 1,59,72,617/- रुपये का भुगतान 25.07.2025 तक किया जाना चाहिए।

(ग) तीसरी किस्त 1,59,72,617/- रुपये का भुगतान 25.08.2025 तक किया जाना चाहिए।

(घ) चौथी किस्त 1,59,72,617/- रुपये का भुगतान 25.09.2025 तक किया जाना चाहिए।

(ड.) पांचवीं किस्त 1,59,72,617/- रुपये का भुगतान 25.10.2025 तक किया जाना चाहिए।

(II) याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्येक किस्त जमा करने के बाद, याचिकाकर्ता को किस्त के भुगतान के दस दिनों के भीतर भुगतान की गई किस्त के अनुपात में स्थल पर पड़े खनिज को उठाने की अनुमति दी जाएगी।

(III) याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त भुगतान याचिकाकर्ता के उस मामले को आगे बढ़ाने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त रॉयल्टी के अधिरोपण को चुनौती दी है।

(IV) याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफलता पर आदेश रद्द कर दिया जाएगा, जिससे उत्तरदाता/खनन विभाग को सभी उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिसमें खनन विभाग का उस स्थान पर पड़े खनिजों के संबंध में किसी भी पट्टेदार के साथ निपटान के लिए नई नीलामी शुरू करने का अधिकार शामिल होगा।

(V) यदि याचिकाकर्ता किसी भी महीने की किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो याचिकाकर्ता, खुले न्यायालय में दिए गए अपने वचन के आधार पर, उत्तरदाता/खनन विभाग द्वारा आदेश को रद्द करने के निर्णय के साथ-साथ नई नीलामी के लिए लिए गए निर्णय को चुनौती नहीं देगा।

29. जिन पक्षों के बीच वर्तमान रिट आवेदन का निपटारा किया जा रहा है, उनके बीच सहमत उपरोक्त शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए, उत्तरदाता-अतिरिक्त सचिव

द्वारा जारी पत्र संख्या 2005 दिनांक 02.04.2025 (रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक-पी/25) को रद्द किया जाता है और साथ ही उस स्थान पर पड़े खनिज की नीलामी की प्रक्रिया दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 04.04.2025 को प्रकाशित पीआर संख्या 000159 (खान) 2025-26 के माध्यम से शुरू की गई थी (रिट आवेदन के अनुलग्नक-पी/26) जिसके माध्यम से 32,20,180.39 घन फुट मौजा मथोकर सूरदासपुर, सर्किल शेखपुरा, डाक शेखपुरा, खाता 272, और 132 प्लॉट 1030 (पी) और 32 (पी) ब्लॉक 04 में स्थित खनिज की नीलामी के लिए नोटिस दिया गया था, को भी रद्द कर दिया गया है।

30. इस मामले को समाप्त करने से पूर्व, यह न्यायालय खनन विभाग/राज्य के वाणिज्यिक हित में एक व्यावहारिक निर्णय लेने के लिए उत्तरदाता/खनन विभाग की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश दीक्षित, जिनकी विद्वान अधिवक्ता श्रीमती कल्पना द्वारा कुशलतापूर्वक सहायता की गई, के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करना चाहेगा।

30.1) इस रिट आवेदन का, तदनुसार, उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटारा किया जाता है।

(आलोक कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

गौरव सिन्हा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।